आकाशवाणी श्री विजयपुरम

07.08.2026 समय : 1905

1. ब्रिक्स देशों के बीच लचीली और नवाचार आधारित शिक्षा व्यवस्था के निर्माण के लिए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मजबूत सहयोग का आह्वान किया।

2. एम एस एम ई से जुड़े भुगतान और विवाद निपटारे की प्रक्रिया होगी आसान, संसद ने संशोधन विधेयक, 2026 को दी मंजूरी।

3. प्रशासन ने वी वी आई पी दौरे को देखते हुए यातायात व्यवस्था में परिवर्तन किया।

4. राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के तहत बच्चों और किशोरों को दी जाएगी एल्बेन्डाजोल की दवा, द्वीप समूह में 10 अगस्त को आयोजन होगा।

<><><><><><>

शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने लचीली, नवाचार आधारित और टिकाऊ शिक्षा व्यवस्था के निर्माण के लिए ब्रिक्स देशों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया है। उन्होंने आज भुवनेश्वर में आयोजित 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जो आर्थिक अनिश्चितताओं, जलवायु परिवर्तन और तेजी से हो रहे तकनीकी बदलाव जैसी वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सके। श्री जोशी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय है – सहयोग और स्थिरता के लिए लचीलापन और नवाचार का निर्माण। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विस्तारित ब्रिक्स समूह चार अरब से अधिक लोगों और दुनिया की बड़ी युवा आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान और सर्वोत्तम कार्य–पद्धतियों के आदान–प्रदान के लिए यह एक महत्वपूर्ण मंच है। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के शिक्षा मंत्री, प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

<><><><><><>

लोकसभा ने आज भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधन संबंधी विधेयक ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसके तहत सरकार को यू पी आई और अन्य अधिसूचित डिजिटल भुगतान माध्यमों पर शुल्क लगाने का अधिकार मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे बैंकों और डिजिटल भुगतान सेवा प्रदाताओं के लिए स्थायी आय का प्रावधान होगा। अभी तक यू पी आई लेन–देन पर कोई शुल्क नहीं लगता, जबकि त्वरित सकल निपटान प्रणाली और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली के माध्यम से होने वाले भुगतान पर पहले से सेवा शुल्क लिया जाता है। यह संशोधन कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 का हिस्सा है।

<><><><><><>

संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से सोमवार को मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित कर दिया। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने यह विधेयक लोकसभा में पेश किया। इसका उद्देश्य एम एस एम ई को भुगतान में होने वाली देरी कम करना और विवादों के निपटारे की प्रक्रिया को सरल बनाना है। विधेयक के अनुसार, सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एम एस एम ई से खरीदे गए सामान और सेवाओं के बिलों का भुगतान टी–रेड्स प्रणाली के माध्यम से करना होगा। साथ ही, यदि मध्यस्थता के दौरान किसी विवाद का समाधान नहीं हो पाता है, तो मामला मध्यस्थता समाप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर आर्बिट्रेशन के लिए भेजना अनिवार्य होगा।

<><><><><><>

राजधानी श्री विजयपुरम में वी वी आई पी दौरे के मद्देनजर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। कल दोपहर बारह बजे से दो बजे तक और दोपहर ढाई बजे से शाम सात बजे तक वी आई पी रोड और सेल्यूलर जेल मार्ग पर यातायात नियंत्रित रहेगा। वहीं, नौ अगस्त को सुबह साढ़े सात बजे से ग्यारह बजकर पैंतालिस मिनट तक और दोपहर साढ़े 12 बजे से शाम 6 बजे तक मरीना पार्क सड़क से फ्लैग प्वाइंट, वी आई पी रोड, डॉलीगंज स्थित डॉ. बी. आर. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान और फिनिक्स बे जेट्टी मार्ग तक यातायात नियंत्रित रहेगा। प्रशासन ने आम नागरिकों से निर्धारित समय के

दौरान इन मार्गों से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को इन मार्गों से आवागमन की अनुमति रहेगी।

<><><><><><>

फिनिक्स बे जेट्टी से संचालित सभी हार्बर फेरी सेवाएं 9 अगस्त को दोपहर साढ़े बारह बजे से शाम छ बजे तक प्रशासनिक कारणों से निलंबित रहेंगी। इस अवधि के दौरान फिनिक्स बे और बम्बूफ्लाट जेट्टी के बीच आपातकालीन फेरी सेवा जारी रहेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए निलंबन अवधि में चाथम जेट्टी से बम्बूफ्लाट और होपटाउन के लिए अतिरिक्त यात्री फेरी सेवाएं संचालित की जाएंगी। शाम छ बजे के बाद फेरी सेवाएं नियमित कर दी जाएंगी। प्रशासन ने सभी यात्रियों और पर्यटकों से अपने आवागमन की योजना इसी के अनुसार बनाने की अपील की है।

<><><><><><>

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने महिला एवं बाल विकास विभाग और स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सहयोग से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम शुरू किया है। इस अभियान के तहत देशभर में 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों और किशोरों को स्कूलों और आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से कृमिनाशक दवा एल्बेन्डाजोल दी जाती है। द्वीप समूह में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 अगस्त को मनाया जाएगा। इसके बाद 17 अगस्त को छूटे हुए बच्चों और किशोरों को दवा देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। लोगों से अपील की गई है कि वे ए एन एम, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का सहयोग करें ताकि अभियान को सफल बनाया जा सके।

<><><><><><>

उत्तर एवं मध्य अंडमान जिले में ग्रामीण परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की गई है। इसके तहत उपायुक्त ने आज डिगलीपुर के प्रशासनिक भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और अन्य किफायती आवास योजनाओं के अठहत्तर लाभार्थियों को भूमि आवंटन आदेश की प्रतियां वितरित कीं। ये लाभार्थी खुदीरामपुर, आर के ग्राम, एच के ग्राम, किशोरीनगर, मिलनग्राम, राधानगर, डिगलीपुर ग्राम, रामनगर, कलापुरम् और दुर्गापुर से हैं। पात्र लाभार्थियों को आवास बनाने के लिए 50 वर्ग मीटर भूमि नाममात्र दो रुपये के भू–राजस्व पर दी गई है। इनमें भूमिहीन परिवार और प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के लाभार्थी शामिल हैं।

<><><><><><>

पर्यटन निदेशालय ने वर्ष 2026–27 के लिए रैम्प पर्यटन हस्तक्षेप योजना के तहत पात्र एम एस एम ई, होम स्टे संचालकों, कर्मचारियों और इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना का उद्देश्य होम स्टे कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और एक्सपोजर कार्यक्रम आयोजित करना तथा एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद में एम एस एम ई को सहायता प्रदान करना है। इच्छुक लाभार्थियों की सुविधा के लिए पर्यटन विभाग पंजीकरण और सुविधा शिविर आयोजित करेगा। आवेदकों को निर्धारित प्रारूप में अपनी सहमति 20 अगस्त तक पर्यटन निदेशालय के योजना अनुभाग में जमा करनी होगी। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रशासन के ई–गजट पोर्टल पर उपलब्ध है।

<><><><><><>